

भर्ती अधिसूचना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भर्ती प्रोजेक्ट 2018-19

अधीनस्थ कर्मचारी श्रेणी में सशस्त्र गार्ड के पद के लिए भर्ती : 2018-19

(केवल भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, (बैंक के रूप में संदर्भित) एक अग्रणी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो राष्ट्र सेवा का 100वां वर्ष मना रहा है और जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है तथा जिसने पूरे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज किया है, ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से अधीनस्थ कर्मचारी श्रेणी में सशस्त्र गार्ड के पद के लिए नीचे उल्लिखित रिक्तियों को भरने के लिए केवल पात्र भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. विभिन्न आरक्षित संवर्गों के बैकलॉग सहित जिलावार रिक्तियों की सूचना परिशिष्ट I में दी गई है.

1. कार्य रूपरेखा:

- क. सशस्त्र गार्ड के कर्तव्य अर्थात् बचाव, सुरक्षा के उद्देश्य से विभाग या परिसर की देखभाल करना है तथा आक्रमण या हमले या घुसपैठ के समय इसकी सुरक्षा तथा किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा बैंक की संपत्ति को हटाने तथा/या एक स्थान से दूसरे स्थान तक नकदी को ले जाने की गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा उसकी सुरक्षा करने, चाहे बैंक के अंदर हो या बैंक के बाहर, किसी भी उद्देश्य के लिए उन्हें निम्न हथियारों में कोई भी हथियार वहन करने की आवश्यकता होती है: (i) बंदूक, पिस्तौल या अन्य कोई अग्न्यस्त्र; या (ii) खंजर, तलवार, खुकरी या भाला; या (iii) अन्य कोई लाइसेंसधारी हथियार.
- ख. बैंक के परिसर में व्यक्तियों या वस्तुओं के आगमन या निकासी पर सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम, एक्स-रे मशीन, दरवाजे में लगा मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी), हाथ में पकड़ने वाला मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) आदि जैसे परिचालन यंत्रों का परिचालन.
- ग. फायर अलार्म सिस्टम तथा फायर फाइटिंग एक्वैपमेंट्स का रख-रखाव तथा परिचालन.
- घ. कार्यों के शिफ्ट में रात्रि की शिफ्ट भी शामिल होती है.
- ड. प्रबंधन द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले अधीनस्थ संवर्ग के अन्य नियमित कार्य.

2. वेतनमान () में तथा परिवीक्षा:

क. चयनित अभ्यर्थी को द्वि-पक्षीय समझौते के अनुसार, अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में नीचे वर्णित वेतनमान में लिया जाएगा.

9560 $\frac{325}{4}$ 10860 $\frac{410}{5}$ 12910 $\frac{490}{4}$ 14870 $\frac{570}{3}$ 16580 $\frac{655}{3}$ 18545

ख. अभ्यर्थी उद्योग वार द्वि-पक्षीय समझौता तथा बैंक की नीतियों एवं नियमों के अनुसार, मूल वेतन के अलावा, डीए, एचआरए, सीसीए, विशेष भत्ता, परिवहन भत्ता, विशेष वेतन, अवकाश किराया रियायत, अवकाश नकदीकरण, स्वयं तथा आश्रितों के लिए समूह चिकित्सा बीमा, चिकित्सा सहायता, ग्रेच्युटी, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, कर्मचारी ओवरड्राफ्ट सुविधा, गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, कर्मचारी कल्याणकारी योजना इत्यादि अन्य लाभ के पात्र होंगे.

ग. चयनित अभ्यर्थी बैंक में अपनी कार्य ग्रहण तिथि से छः माह की सक्रिय सेवा अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा तथा उक्त के सफलतापूर्वक समापन पर ही उन्हें स्थायी किया जाएगा.

3. पात्रता मानदंड:

i. **राष्ट्रीयता/ नागरिकता:** एक आवेदक के पास अवश्य होनी चाहिए -

क. भारत की नागरिकता, या

ख. नेपाल की नागरिकता, या

ग. भूटान की नागरिकता, या

घ. ऐसे तिब्बत शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा लेकर बस गए, या

ड. भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति, जो पाकिस्तान/ बर्मा/ श्रीलंका/ पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या/ यूगांडा/ तंजानिया गणराज्य (पूर्व में तंगान्यिका एवं ज़ांज़िबार) / ज़ाम्बिया/ मालावी/ ज़ैरे/ इथोपिया या वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा लेकर बस गए.

यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त (बी)/ (सी)/ (डी) या (ई) श्रेणी से संबंधित है तो, उसे इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व का भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

ii. **कट-ऑफ-तिथि:** भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्रता मानदंडों के उद्देश्य हेतु अस्थायी कट-ऑफ-तिथि **01.01.2019** है. हालांकि, अंतिम कट-ऑफ-तिथि बैंक की वेबसाइट पर सूचित कर दी जाएगी.

iii. **आयु:**

अभ्यर्थी की आयु कट-ऑफ-तिथि को बैंक में अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग के पद के लिए लागू आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ऊपरी आयु सीमा में छूट [भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार]:

| आरक्षित/ अनारक्षित श्रेणी | आयु में छूट |
|--|--|
| क. अनारक्षित/ सामान्य | शून्य |
| ख. अनुसूचित जाति & अनुसूचित जनजाति [एससी/एसटी] | 5 वर्ष |
| ग. अन्य पिछड़ा वर्ग [ओबीसी] (नॉन क्रिमी लेयर) | 3 वर्ष |
| घ. विधवा, तलाक़शुदा महिलाएं तथा वे महिलाएं जो कानूनी तौर पर पति से अलग हैं और उन्होंने पुनः शादी नहीं की है. | 9 वर्ष |
| ड. जो व्यक्ति 1.1.1980 से 31.12.1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू & कश्मीर राज्य के निवासी रहे हैं | 5 वर्ष |
| च. यूनियन कार्बाइड फैक्टरी, भोपाल की सेवा से छंटनी किए गए नियमित कर्मचारी (यह केवल मध्य प्रदेश राज्य पर लागू होगा) | 5 वर्ष |
| छ. 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति | 5 वर्ष |
| ज. भूतपूर्व सैनिक | सैन्य बल में प्रदान की गई सेवा की अवधि + 3 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष की आयु |

नोट:

क. एससी/एसटी/ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट को शेष श्रेणियों जिसके लिए ऊपर उल्लिखित आयु में छूट की अनुमति है, में से केवल एक के साथ संचयी आधार पर अनुमति दी जाएगी,

- ख. अनारक्षित/सामान्य श्रेणी से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू निर्धारित अधिकतम आयु सीमा ; अर्थात् 45 वर्ष लागू होगी.
- ग. दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अधिकार में परिभाषित दिव्यांगजन (पीडबल्यूडी), दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक, जो ऑपरेशन के समय दिव्यांग हो गए थे या अन्यथा कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित, आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे.
- घ. यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण/आयु में छूट की मांग करता है तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में प्रमाणपत्रों की मूल / प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
- ङ. केवल उन उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा, जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार अधिसूचना क्र. 36034 /5/85 (एससीटी) दिनांक 27.10.1986 तथा समय-समय पर हुए इसमें सुधार में उल्लिखित परिभाषा को पूरा करते हैं.
- च. ऐसे भूतपूर्व-सैनिक अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले ही केंद्र सरकार के अधीन गुप 'सी' एवं 'डी' में रोजगार प्राप्त किया है, उन्हें केंद्र सरकार के अधीन गुप 'सी' / 'डी' में किसी उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में किसी अन्य रोजगार को प्राप्त करने के लिए आयु में यथा-निर्धारित छूट का लाभ लेने की अनुमति होगी. तथापि ऐसे अभ्यर्थी केंद्र सरकार की नौकरियों में पूर्वसैनिक हेतु आरक्षण का दूसरी बार लाभ प्राप्त करने के- लिए पात्र नहीं होंगे.
- छ. कोई भूतपूर्व-सैनिक जिसने अपने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व-सैनिक के रूप में सुविधाएँ प्राप्त करने के बाद, सामान्य नागरिक के तौर पर कोई सरकारी रोजगार प्राप्त किया है, वह सरकारी रोजगार में पुनर्नियोजन के उद्देश्य से भूतपूर्व-सैनिक की हैसियत खो देगा.
- ज. ऐसे अभ्यर्थी, जो अभी भी सशस्त्र बलों का हिस्सा हैं और पूर्व-सैनिक श्रेणी के अधीन आवेदन करने के इच्छुक हैं तथा कट-ऑफ तिथि से एक वर्ष तक, जिनके कार्य की निश्चित अवधि (एसपीई) की समाप्ति हो चुकी है, वे आवेदन हेतु पात्र हैं.

iv. शैक्षणिक अर्हता:

- 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, लेकिन 12वीं की परीक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण न की हो.
- राज्य / केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने का इच्छुक है, उसकी राजभाषा (अभ्यर्थियों को उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा पढ़ने / लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए) में दक्षता.
- उसका चरित्र सशस्त्र बलों से वैध कार्यमुक्ति के समय 'आदर्श' होना चाहिए.
- अभ्यर्थी का न्यूनतम चिकित्सा मानक, सशस्त्र बलों से वैध कार्यमुक्ति के समय SHAPE-1 या AYE, जो भी लागू हो, होना चाहिए.
- ऐसे भूतपूर्व-सैनिक, जो उपर्युक्त सिविल परीक्षाओं की अर्हता नहीं रखते, उन्हें 10वीं उत्तीर्ण भूतपूर्व-सैनिक होना चाहिए, जिन्होंने कट-ऑफ तिथि तक संघ के सशस्त्र बलों में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद, सेना का विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र या नौसेना या वायुसेना का समवर्ती प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो. ऐसा प्रमाणपत्र कट-ऑफ तिथि तक या उससे पहले की तिथि का होना चाहिए.

नोट:

- क. उल्लिखित सभी शैक्षणिक अर्हताएँ भारत सरकार / सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ बोर्ड से प्राप्त होनी चाहिए और अंतिम परीक्षा परिणाम की घोषणा कट-ऑफ तिथि को या उससे पूर्व होनी चाहिए. शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने के समय उसे बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा कट-ऑफ तिथि को या उससे पूर्व परिणाम घोषित किए जाने का उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.

- ख. विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट या अस्थायी प्रमाणपत्र पर दी गई तिथि को ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि माना जाएगा.
- ग. यदि किसी परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय / संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया हो और वेब आधारित प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, तब विश्वविद्यालय / संस्थान के समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरित उचित दस्तावेज़ / प्रमाणपत्र की मूल प्रति, जिसपर उत्तीर्ण होने की तिथि का भलीभांति उल्लेख हो, उसे ही सत्यापन तथा आगे की प्रक्रिया हेतु विचार योग्य माना जाएगा.
- घ. ऐसे अभ्यर्थी, जो 10वीं या उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हैं या जो 12वीं या उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं या 12वीं से उच्च परीक्षा या उसके समतुल्य शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं. ऐसे आवेदन यदि प्राप्त होते हैं, तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा.

V. अन्य मानदंड:

- क. केवल भूतपूर्व-सैनिक अभ्यर्थी ही सशस्त्र गार्ड के पद हेतु आवेदन कर सकते हैं.
- ख. जिस जिले में रिक्तियाँ अधिसूचित हुई हैं, वहाँ का स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होगा.
- ग. भूतपूर्व-सैनिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी जिसमें दिव्यांग भूतपूर्व-सैनिक और / सेवा के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रित और दिव्यांग जन या किसी भी ढंग से अक्षम व्यक्ति शामिल हैं, आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे.
- घ. आवेदन करने हेतु इच्छुक आवेदकों को आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों तथा आवश्यक दस्तावेज़ / प्रमाणपत्र रखते हों.
- ङ. चयनित अभ्यर्थी को बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी शाखा / कार्यालय में पदस्थ कर सकता है.

4. परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अल्पसंख्यक समूह/ भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए बैंक द्वारा परीक्षा आयोजित होने वाले केंद्रों पर परीक्षा - पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है. सभी पात्र अभ्यर्थी जो यह प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम भरना होगा. निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा - पूर्व प्रशिक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, लेकिन यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग आदि से संबंधित अन्य सभी खर्च अभ्यर्थी को स्वयं करने होंगे. प्रशिक्षण के प्रतिसाद और प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी भी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र को रद्द करने और/या कुछ और केंद्र जोड़ने और/या वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार बैंक को है. केवल परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने से कोई भी अभ्यर्थी बैंक में चयनित होने का अधिकार प्राप्त नहीं करता है. परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की तिथियाँ अलग से बतायी जाएंगी.

5. चयन प्रक्रिया:

- क. अभ्यर्थियों का चयन, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आरक्षण नीति एवं दिशानिर्देशों के अधीन, अनिवार्य रूप से परीक्षा (ऑनलाइन) में उत्कृष्टता और शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के आधार पर ही किया जाएगा.
- ख. चयन प्रक्रिया निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी; अर्थात्, (a) ऑनलाइन परीक्षा और (b) शारीरिक स्वस्थता परीक्षण, जिसका कुल योग 100 अंक होगा. ऑनलाइन परीक्षा द्विभाषिक रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाएगी.
- ग. प्रत्येक परीक्षा के अधिकतम अंक इस प्रकार होंगे:

| क्र. सं. | परीक्षा का नाम | अधिकतम अंक |
|----------|--------------------------------------|------------|
| i | ऑनलाइन परीक्षा जिसका समय 1 घंटे होगा | 70 |
| ii | शारीरिक स्वस्थता परीक्षण | 30 |
| | कुल योग | 100 |

घ. ऑनलाइन परीक्षा और कट-ऑफ अंक:

विभिन्न विषयों पर एक घंटे की अवधि वाली वस्तुनिष्ठ और बहु विकल्पी प्रश्नों की ऑनलाइन परीक्षा जो कुल 70 अंकों की होगी, का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा जिसके द्वारा लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से अभ्यर्थी की सामान्य उपयुक्तता का निम्न प्रकार से आकलन किया जाएगा:

| S. No. | उप-परीक्षा | प्रश्नों की सं. | अधिकतम अंक | अर्हता अंक |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------|---|
| i | सामान्य ज्ञान | 15 | 15 | - |
| ii | सामान्य अंग्रेजी | 15 | 15 | - |
| iii | तार्किकता परीक्षा | 25 | 25 | सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम 10 अंक |
| iv | सुरक्षा और सैन्य ज्ञान परीक्षा | 15 | 15 | - |
| | कुल योग (क से घ) | 70 | 70 | आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 25 अंक और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 28 अंक जिसमें नीचे दिए गए खंड 7.4 के अधीन, तार्किकता परीक्षा के न्यूनतम 10 अंक शामिल हैं. |

ऑनलाइन परीक्षा के लिए सामान्य और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए समग्र कट-ऑफ अंक का निर्धारण बैंक के द्वारा जिले-वार रिक्तियों की संख्या, अभ्यर्थियों के वास्तविक प्रदर्शन आदि के आधार पर उचित समय पर किया जाएगा. उपलब्ध जिले-वार रिक्तियों के आधार पर बैंक अर्हता मानदंडों को परिवर्तित करने का अधिकार रखता है. बैंक के पास परीक्षाओं का स्वरूप परिवर्तित करने का भी अधिकार सुरक्षित है, जिसकी सूचना उसकी वेबसाइट पर दी जाएगी.

नोट:

- क. तार्किक परीक्षा: इस तार्किक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, चाहे अभ्यर्थी किसी भी आरक्षित श्रेणी का क्यों न हों, उसे न्यूनतम 10 अंक प्राप्त होने चाहिए. आहर्ता अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी को सीधे हटा दिया जाएगा.
- ख. सुरक्षा और सैन्य ज्ञान परीक्षा: इसमें संगठनात्मक संरचन, नैविगेशन, सेक्शन लेबल आम्स, सेक्शन लेबल स्टेटिक, मिलिटरी, एयर फोर्स, नेवी एवं पुलिस से संबंधित सामान्य विषय, निजी रक्षा और कानूनी परिणामों के संबंध में हथियारों का उपयोग, आदि शामिल होंगे.
- ग. अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:
 - i. परीक्षा से संबंधित तारीख और सत्र के लिए वैध कॉल लेटर.
 - ii. मूल फोटो पहचान प्रमाण (जैसा उल्लिखित है) जिसमें वही नाम हो जो कॉल लेटर / आवेदन फॉर्म में उल्लिखित हो.
 - iii. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, फोटो पहचान प्रमाण की एक जेरोक्स प्रति.
- घ. देर से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी अर्थात् परीक्षा के कॉल लेटर में उल्लिखित निर्धारित समय के बाद रिपोर्ट करने वालों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ड. शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण:

जो अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं एवं कटऑफ स्कोर के अधीन हैं और पात्रता मानदंड को भी पूरा करते हैं, वे शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

i. अभ्यर्थियों के समग्र शारीरिक स्वस्थता का आकलन करने के लिए कुल 30 अंक का शारीरिक स्वस्थता परीक्षण होगा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है.

| क्रं. सं. | परीक्षण | आकलन | अधिकतम स्कोर | अर्हता अंक |
|-----------|---------------|---|--------------|------------|
| क | पुश-अप्स | मजबूती, शरीर के ऊपरी हिस्से की गठीली क्षमता और ट्रंक स्थिरता | 10 | 5 |
| ख | सीट-अप्स | कोर बॉडी मसल्स की मजबूती | 10 | 5 |
| ग | 5 मीटर शटल रन | शरीर के निचले हिस्से की गठीली क्षमता, एनेरोबिक ऊर्जा, गति, फूर्ती और समन्वयता | 10 | 5 |
| | | कुल योग | 30 | 15 |

ii. प्रत्येक शारीरिक परीक्षण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| विवरण | प्रदर्शन की तुलना में स्कोरिंग पैटर्न | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| क. पुश-अप्स | | | | |
| समय/कालावधि | एक मिनट | | | |
| पुनरावृत्ति | 30 एवं अधिक तक | 21 से 30 तक | 15 से 20 तक | 14 या कम |
| स्कोर | 10 | 7 | 5 | अनुत्तीर्ण |
| ख. सीट-अप्स | | | | |
| समय/ कालावधि | एक मिनट | | | |
| पुनरावृत्ति | 15 एवं अधिक तक | 11 से 15 तक | 8 से 10 तक | 7 या कम |
| स्कोर | 10 | 7 | 5 | अनुत्तीर्ण |
| ग. 5 मीटर शटल रन | | | | |
| समय/ कालावधि | एक मिनट | | | |
| पुनरावृत्ति | 12 एवं अधिक तक | 10 से 11 तक | 8 से 9 तक | 7 या कम |
| स्कोर | 10 | 7 | 5 | अनुत्तीर्ण |

नोट:

क. शारीरिक स्वस्थता परीक्षण करने के लिए और इसके पहले, सभी पात्र अभ्यर्थियों को किसी भी चिकित्सीय / कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए चिकित्सीय स्वस्थता जांच करवानी होगी.

ख. अभ्यर्थी चाहे किसी भी आरक्षित श्रेणी का क्यों न हों, को अनिवार्यतः तीनों शारीरिक स्वस्थता परीक्षण में से प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम निर्धारित अंकों से उत्तीर्ण होना पड़ेगा.

- ग. शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण का संचालन समान्यतः जिला मुख्यालय में, जहां रिक्तियाँ हैं या किसी अन्य केन्द्र में किया जाएगा जैसा कि बैंक उचित समझें. शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण की तारीख आपको अलग से सूचित की जाएगी.
- घ. अभ्यर्थियों को अपने जोखिम और अपने खर्च से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा और बैंक किसी भी तरह की अनुचित घटना के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
- ङ. अभ्यर्थी प्रत्येक शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण में केवल एक ही प्रयास कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में और कोई प्रयास अनुमत नहीं होगा.

6. अस्थायी नियुक्ति:

- क. जो अभ्यर्थी अर्हता अंक और कटऑफ स्कोर प्राप्त करते हुए विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके हैं, आरक्षण एवं अन्य संबंधित पॉलिसियों, प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जिला-वार चयन सूची में उनका नाम घटते क्रम में रखा जाएगा. प्रथम सूची में अधिसूचित श्रेणी-वार रिक्तियों के अनुसार 100% स्कोरिंग वाले सर्वोच्च अभ्यर्थियों के नाम होंगे. किसी भी अभ्यर्थी के चयन एवं अस्थायी नियुक्ति पर विचार तभी किया जाएगा जब वह पर्याप्त रूप से मेरिट में सबसे ऊपर होगा तथा यह अंतिम रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा. अभ्यर्थी द्वारा अस्थायी नियुक्ति के लिए सांकेतिक / अस्थायी रिक्तियों का दावा अंतिम रिक्तियों के रूप में नहीं किया जा सकेगा.
- ख. अजा/अजाजा/अपिव श्रेणी वाले अभ्यर्थी, जिनका चयन सामान्य श्रेणी वाले अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानदंड के आधार पर हुआ है, को अपनी योग्यता के आधार पर उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अपनी ओ.एम. क्र.36011/1/98-ईसटीटी-(आरएस) दिनांक 01.07.1991 के माध्यम से स्पष्ट करता है कि केवल ऐसे अजा/अजाजा/अपिव अभ्यर्थियों, जिन्होंने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में आवेदन किया था और उनका चयन उसी मानदंड के आधार पर हुआ हो, उनका समायोजन आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष नहीं किया जाएगा. अन्य शब्दों में, अजा/अजाजा/अपिव के अभ्यर्थी का चयन करते समय जब मानदंड में छूट दी जाती है, जैसे आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, परीक्षा देने के लिए अनुमत अवसर, विचार करने का विस्तृत क्षेत्र जो कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक है आदि, तब अजा/अजाजा/अपिव वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के योग्य माना जाएगा. अनारक्षित रिक्तियों के लिए ऐसे अभ्यर्थी आयोज्य माने जाएंगे. स्वयं के मेरिट वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी के बजाए अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष योग्य माना जाएगा.
- ग. विगत नियुक्त अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अस्थायी नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे. यद्यपि वे अभ्यर्थी, जिन्होंने आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत मिलने वाली किसी भी छूट का लाभ उठाया हो, ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा और इस नियुक्ति के लिए संचालित विभिन्न परीक्षाओं में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित न्यूनतम कुल अंक प्राप्त करने होंगे और अनारक्षित रिक्तियों के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त अंतिम अभ्यर्थी से भी अधिक अंक प्राप्त करने होंगे.

- घ. सशक्त गार्ड के पद पर भर्ती के संबंध में, यदि दो या इससे अधिक अभ्यर्थी एकसमान अंक प्राप्त करते हैं, तो मेरिट के क्रम का निर्धारण मूल सैन्य सेवा या सहायक विधाओं अर्थात् इंफैंट्री, आर्टिलेरी, आर्मर्ड, सिग्नल एवं इंजीनियर रेजीमेंट एवं अन्य सैन्य सेवा के साथ ही साथ अन्य सहायक विधाओं अर्थात् आर्मी सप्लाइ कॉर्पस (एएससी), आर्मी ऑर्डिनेन्स कॉर्पस (एओसी), इलैक्ट्रिकल एंड मैकानिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी मेडिकल कॉर्पस (एएमसी), डिफेंस फोर्स, आर्म्स एवं सर्विसेस के समान क्रम में प्रोवोस्ट और अन्य, के आधार पर किया जाएगा. यदि दोनों अभ्यर्थियों की मूल शैली भी समान है, तो जन्म की तारीख (अधिकतम आयु वाले छात्र को न्यूनतम आयु वाले छात्र की तुलना में अधिक वरीयता दी जाएगी) के आधार पर मेरिट के क्रम का निर्धारण किया जाएगा.
- ङ. बैंक द्वारा अपेक्षित पात्रता मानदंड एवं पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही अस्थायी नियुक्ति के पात्र होंगे. इसका अर्थ यह नहीं है कि यह रोजगार का प्रस्ताव देता है. पात्रता मानदंड के संबंध में दस्तावेजों का सत्यापन बैंक द्वारा किया जाएगा.
- च. बैंक अस्थाई रूप से नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा(पढ़ना, लिखना, बोलना) में प्रवीणता की जांच का पता लगायेगा. राजभाषा प्रवीणता परीक्षा 20 अंकों की होगी और सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए रखी जाएगी, जिनके स्कूल/बोर्ड द्वारा जारी मार्कशीट से यह पता चलेगा कि उन्होंने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा नहीं पढ़ी है. अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 7 अंक लाने होंगे. अभ्यर्थी, जिनकी मार्कशीट यह तथ्य दर्शाती है कि उन्होंने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा पढ़ी है, यह माना जाएगा कि उन्हें राजभाषा में प्रवीणता प्राप्त है तथा उन्हें उक्त परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी.
- छ. बैंक के पास यह अधिकार है कि पात्रता कसौटी पूरी न होने पर अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा. बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा. यदि भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता कसौटी को पूरा नहीं कर रहा है तो उसका/उसकी अभ्यर्थिता इस प्रक्रिया में रद्द मानी जाएगी.
- ज. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत डेटा में किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा. साथ ही, अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है यदि वो बैंक का नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता तो उसकी इस प्रक्रिया में अभ्यर्थिता रद्द मानी जाएगी.
- झ. रिक्तियों की 100% सीमा तक अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अधीन, हर आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 1 अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी. यह बैंक द्वारा अस्थायी नियुक्ति/भर्ती की गारंटी प्रदान नहीं करता. संबन्धित प्रक्रिया के अंतिम परिणाम की घोषणा की दिनांक से लेकर एक वर्ष तक के लिए यह प्रतीक्षा सूची वैध होगी या जब तक इस प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित रिक्तियाँ भर नहीं ली जाती. उसके बाद यह बिना किसी नोटिस के अपने आप रद्द हो जाएगी. अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं किए गए एवं प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं हुए हैं उन पर इस वर्तमान प्रक्रिया के लिए विचार नहीं लिया जाएगा.
- ञ. अ.जा, अ.ज.जा., अ.पि.व., पीडबल्यूडी प्रमाणपत्र के लिए निर्धारित प्रारूप, भूतपूर्व-सैनिक के लिए लागू प्रोफार्मा ए,बी,सी,डी उपबंध में वर्णित है एवं इसे बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है. इन श्रेणियों से संबन्धित अभ्यर्थियों को यह प्रमाणपत्र सिर्फ इसी प्रारूप में उपलब्ध कराना है.

7. शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के लिए उपस्थित होते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा कि लागू है):

कार्यग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अभ्यर्थी की पात्रता और पहचान के समर्थन में प्रस्तुत करनी होंगी. वैध दस्तावेजों के अभाव में, अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द मानी जाएगी.

- क. भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का वैध सिस्टम जनित प्रिंट-आउट एवं साथ ही स्वस्थता परीक्षण के लिए कॉल लेटर.
- ख. जन्मदिवस का प्रमाण जैसे कि विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र/ स्थानांतरण प्रमाणपत्र/ अधिवास प्रमाणपत्र/ सक्षम नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र.
- ग. फोटो पहचान पत्र जैसे कि पासपोर्ट, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, यूआईडीएआई कार्ड (आधार), राज्य सरकार के प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मनरेगा कार्ड, केंद्रीय सरकारों या राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी कार्ड.
- घ. आवासीय जिले का प्रमाण, जो कि उपयोगिता बिलों जैसे कि बिजली, टेलीफोन, पोस्ट पेड मोबाइल फोन, पाइपड गैस, पानी, संपत्ति या नगर निगम कर रसीद, सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश, बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस बचत खाता विवरण या पास बुक, पासपोर्ट, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान पत्र, स्थायी ड्राइविंग लाइसेन्स, यूआईडीएआई कार्ड (आधार), राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मनरेगा कार्ड, विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज एवं भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र.
- ङ. इस सूचना के उपर्युक्त पॉइंट नंबर 3 में वर्णित देशों के संबंध में, जैसा भी मामला हो, नागरिकता/पात्रता का प्रमाणपत्र.
- च. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामलों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुबंधित किया गया है..
अभ्यर्थी जो अ.पि.व श्रेणी से संबंध रखते हैं परंतु क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं एवं/या यदि उनकी जाति केंद्रीय सूची में नहीं आती वे अ.पि.व आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं. उनको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी श्रेणी सामान्य दिखानी होगी.
- छ. भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी:
 - i. अभ्यर्थी, जो सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें प्रोफॉर्मा ए के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. इस तरह के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के समय पर सैन्य मुक्ति प्रमाणपत्र/ सैन्य मुक्ति किताब/ पेंशन भुगतान आदेश एवं अंतिम/वर्तमान पद (वास्तविक एवं कार्यकारी) का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करना होगा.
 - ii. अभ्यर्थी, जो अभी भी सशस्त्र बल में कार्यरत हैं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन करने के इच्छुक हैं उन्हें प्रोफॉर्मा बी में सक्षम प्राधिकारी से उनकी नियुक्ति की विशिष्ट अवधि की पूर्णता (एसपीई) को दर्शाते हुए प्रोफॉर्मा सी के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एसपीई निर्धारित तिथि पर या उससे पहले पूरी हो गयी है वे आवेदन कर सकते हैं. ऐसे अभ्यर्थियों को एक कार्यमुक्ति पत्र एवं एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वे भारत सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक को दिये जाने वाले सभी लाभों के लिए हकदार हैं.
 - iii. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी निर्धारित अवधि का आरंभिक समय पूरा कर लिया है एवं जो विस्तारित अवधि पर हैं, को प्रोफॉर्मा डी के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- ज. अभ्यर्थी, जो सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को मिलाकर) में कार्यरत हैं उन्हें कार्यग्रहण के समय एक अनापत्ति प्रमाणपत्र

अपने नियोक्ता से उपलब्ध कराना होगा. इसके न होने पर, उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा व्यय यदि कोई है, का पात्र नहीं माना जाएगा, और अन्यथा स्वीकार्य भुगतान नहीं किये जाएंगे.

- झ. विधवा, तलाकशुदा महिला एवं पति से कानूनन अलग हुई महिला, जिनकी दोबारा शादी नहीं हुई है एवं जो आयु छूट के लिए पात्र हैं, को पति का मृत्यु प्रमाणपत्र/ तलाक एवं न्यायिक अलगाव के दस्तावेज एवं शपथपत्र कि वह दोबारा विवाहित नहीं हैं, प्रस्तुत करना होगा.
- ञ. व्यक्ति, जो 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि में जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे थे उन्हें जिला अधिक्षेत्र द्वारा जारी आवासीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जहां वे सामान्य तौर पर रह रहे थे या इस संबंध में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कराना होगा कि अभ्यर्थी 01.01.1986 to 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में अधिवासी था.
- ट. वे व्यक्ति, जो 1984 के दंगों से प्रभावित हैं, उन्हें जिलाधिकारी से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह सरकार द्वारा स्वीकृत एवं वित्तीय मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग सूचना एफ.क्र. 9/21/2006-आईआर दिनांक 27.07.2007 के माध्यम से सूचित 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत राहत के पात्र हैं.
- ठ. यूनियन कारबाइड फैक्टरी, भोपाल के नियमित कर्मचारी, जिनकी सेवा से छंटनी कर दी गयी है (सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए लागू) एवं आयु छूट के लिए पात्र हैं, को अपने दावे के समर्थन में एक शपथपत्र/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- ड. व्यक्ति, जो नेपाल या भूटान से हैं, तिब्बतियन शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए 01.01.1962 से पहले आए हैं, या भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्व अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, यूगांडा, तंज़ानिया (पूर्व तंगनायिका एवं जांज़िबार), ज़ाम्बिया, मलावी, जाइरे, यूथोपिया एवं विएतनाम से भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए आए हैं, को भारत सरकार द्वारा जारी एक पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा.
- ढ. शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, स्थानांतरण प्रमाणपत्र (यदि कोई है).
- ण. पात्रता के समर्थन में अन्य कोई भी संबद्ध दस्तावेज.

नोट: यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त पात्र दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे बैंक में कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

8. परीक्षा केंद्र :

क. परीक्षा (ओं) को निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित किया जा सकता है और परीक्षा स्थल की जानकारी कॉल लेटर में दी जाएगी. यद्यपि, बैंक, को किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या अन्य केन्द्रों को जोड़ने का अधिकार है यह बैंक के प्रतिउत्तर, प्रशासनिक सुविधा आदि पर निर्भर करता है. बैंक को अधिकार है कि अभ्यर्थी द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा उन्हें अन्य केंद्र भी आवंटित कर सकता है.

ख. ऑनलाइन टेस्ट अंतरिम रूप से निम्नलिखित स्थानों पर शुरू किए जाएंगे:

| परीक्षा केंद्र के नाम | राज्य का नाम/केन्द्रशासीत प्रदेश |
|-----------------------|----------------------------------|
| गुंटूर | आंध्र प्रदेश |
| डिब्रूगढ़ | असम |
| गुवाहाटी | असम |
| पटना | बिहार |
| चंडीगढ़ - मोहाली | चंडीगढ़ |

| | |
|----------------------|----------------|
| दिल्ली और नई दिल्ली | दिल्ली एनसीआर |
| अहमदाबाद - गांधी नगर | गुजरात |
| राजकोट | गुजरात |
| सूरत | गुजरात |
| बड़ोदरा | गुजरात |
| पानीपत | हरियाणा |
| जम्मू | जम्मू & कश्मीर |
| श्रीनगर | जम्मू & कश्मीर |
| रांची | झारखंड |
| बेलगाम | कर्नाटक |
| कोची | केरल |
| कोझिकोड | केरल |
| तिरुवनंतपुरम | केरल |
| भोपाल | मध्य प्रदेश |
| जबलपुर | मध्य प्रदेश |
| सतना | मध्य प्रदेश |
| मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई | महाराष्ट्र |
| संबलपुर | ओड़ीसा |
| अमृतसर | पंजाब |
| भटिंडा | पंजाब |
| लुधियाना | पंजाब |
| चेन्नई | तमिलनाडु |
| कोयंबतूर | तमिलनाडु |
| मदुरै | तमिलनाडु |
| हैदराबाद | तेलंगाना |
| करीमनगर | तेलंगाना |
| आगरा | उत्तर प्रदेश |
| गोरखपुर | उत्तर प्रदेश |
| कानपुर | उत्तर प्रदेश |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश |
| मेरठ | उत्तर प्रदेश |
| देहरादून | उत्तराखंड |
| दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल |
| ग्रेटर कोलकाता | पश्चिम बंगाल |

ऑनलाइन परीक्षा तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी.

- ग. अभ्यर्थियों को हैंडआउट के साथ कॉल लेटर के द्वारा परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा की तिथि सूचित की जाएगी, जिसे कि बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
- घ. अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट 'www.unionbankofindia.co.in' में "Recruitments" लिंक को देखते रहें.

- ड. आवेदन प्रस्तुत करने के बाद श्रेणी, केंद्र या अन्य कोई व्यक्तिगत ब्यौरे में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- च. बैंक, अपने विवेक पर, अभ्यर्थियों के प्रतिसाद, प्रशासनिक सुविधा आदि के आधार पर परीक्षा की तिथि को पूर्व में / बाद में / पुनर्निर्धारित/ निरस्त करने या नए केंद्र शामिल करने के संबंध में अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.
- छ. बैंक के पास अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा अन्य कोई केंद्र आबंटित करने और उसके द्वारा राज्य/ संघ शासित क्षेत्र/ जिले हेतु आवेदित रिक्ति के अलावा दूसरे केंद्र को आबंटित करने का भी अधिकार सुरक्षित है.
- ज. अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अपने जोखिम एवं खर्च पर उपस्थित होना होगा तथा बैंक किसी भी प्रकृति के चोट या नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
- झ. परीक्षा केंद्र में किसी भी गैर कानूनी व्यवहार / दुर्व्यवहार के लिए अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है.

9. पहचान सत्यापन:

क. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

परीक्षा हॉल में, अभ्यर्थी को पहचान पत्र के साथ एक फोटो पहचान पत्र (कॉल लेटर पर अंकित नाम ही उस पर अंकित हो) जैसे कि पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/निर्वाचन पत्र/फोटो के साथ बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी या जन प्रतिनिधित्व द्वारा फोटो सहित जारी फोटो पहचान पत्र/मान्यता प्राप्त कालेज या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/आधार/फोटोग्राफ के साथ ई-आधार कार्ड/कार्मिक पहचान पत्र, सत्यापन के समय जांचकर्ता को प्रस्तुत करना होगा. अभ्यर्थी की पहचान उपस्थिति सूची और प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेज कॉल लेटर पर दिए विवरण से सत्यापित की जाएगी. यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं भी दी जा सकती है.

- ख. इस योजना के लिए राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान पत्र के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा.
- ग. अभ्यर्थी के नाम परिवर्तन के मामले में, उन्हें मूल अधिसूचना पत्र /मूल विवाह प्रमाण पत्र/मूल हलफनामा पत्र देने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी.

नोट: अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होते समय ऑनलाइन आवेदन फार्म/कॉल लेटर में दर्शाये नाम के अनुसार वही नाम प्रदर्शित करने वाले फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति और फोटो प्रति, दोनों ही प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी.

घ. बायोमीट्रिक डाटा - कैप्चरिंग और सत्यापन:

परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ एवं बायोमेट्रिक डाटा (दाए अंगूठे का निशान या अन्यथा) कैप्चर करने और सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है. यह ध्यान दिया जाए कि बायोमेट्रिक डाटा और फोटोग्राफ को निम्नलिखित अवसरों पर कैप्चर और सत्यापित किया जाएगा -

- i. मुख्य परीक्षा की शुरुआत से पहले इसे कैप्चर किया जाएगा;
- ii. मुख्य परीक्षा समाप्त होने पर तथा परीक्षा हॉल/लैब छोड़ने से पहले;
- iii. शारीरिक परीक्षण हेतु उपस्थित होने के समय;
- iv. कार्यग्रहण के समय, यदि अनंतिम रूप से आवंटित किया गया है.

- ड. बायोमेट्रिक डाटा सत्यापन स्थिति (अर्थात मिलान होता है अथवा नहीं) के संबंध में बायोमेट्रिक डाटा सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय, अभ्यर्थियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा.
- च. उपर्युक्त किसी भी अवसर पर बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग/सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है.
- छ. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सुचारू रूप से प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें.
 - i. यदि उंगलियों पर लेप (स्टैम्प इंक / मेहंदी / रंग आदि) लगा हो तो सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह से धो दिया गया हो ताकि परीक्षा/कार्यग्रहण तिथि से पहले वह लेप हट जाए.
 - ii. यदि उंगलियां गंदी अथवा मटमैली हों तो सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) के कैप्चर होने से पहले उन्हें धोकर सुखा लिया गया हो.
 - iii. सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों। यदि उंगलियां नम हों तो प्रत्येक उंगली को सुखाने के लिए पोछें.
 - iv. यदि कैप्चर की जाने वाली मुख्य उंगली (दायां अंगूठा) चोटग्रस्त / क्षतिग्रस्त है तो परीक्षा केंद्र पर संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करें। ऐसे मामलों में अन्य उंगलियों, पांच की उंगलियों इत्यादि के छाप को कैप्चर किया जा सकता है.

10. आवेदन कैसे करें:

निम्नलिखित के लिए विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रिया

क. आवेदन करने की प्रक्रिया

ख. शुल्क का भुगतान

ग. फोटो और हस्ताक्षर स्कैन एवं अपलोड (परिशिष्ट II का संदर्भ लें)

अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

रजिस्ट्रेशन से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले -

- i. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को यह सुनिश्चित करते हुए स्कैन करें कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दोनों विनिर्देशों के अनुसार हैं, जैसा कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन एवं अपलोड के लिए दिशानिर्देशों में दिया गया है.
- ii. एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अवश्य हो, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए. बैंक पंजीकृत ई-मेल आईडी और/या डाक के माध्यम से परीक्षा आदि के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना भेज सकता है. यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर की व्यवस्था करनी चाहिए और उस ई-मेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए.
- iii. **आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (गैर वापसी योग्य) रु.100/- (एक सौ रुपए मात्र) भूतपूर्व सैनिकों के लिए चाहे वे किसी भी श्रेणी से हों.**

आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए लगने वाला बैंक लेनदेन प्रभार अभ्यर्थी को ही वहन करना होगा.

क. आवेदन करने की प्रक्रिया

1. अभ्यर्थियों को सबसे पहले बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाना होगा और "ARMED GUARD RECRUITMENT 2018-19" को खोलने के लिए 'भर्ती' पृष्ठ पर क्लिक करना होगा और फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए "CLICK HERE TO APPLY ONLINE" पर क्लिक करना होगा.
2. अपने आवेदन को रजिस्टर करने के लिए अभ्यर्थी "Click here for New Registration" टैब पर क्लिक करें और अपना नाम, संपर्क हेतु जानकारी तथा ई-मेल आईडी भरें. इसके बाद सिस्टम द्वारा अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तैयार करके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा. अभ्यर्थी इस अस्थायी नंबर और पासवर्ड को नोट करें. अस्थायी नंबर और पासवर्ड की जानकारी देते हुए ई-मेल से और मोबाइल पर एक एसएमएस भी भेजा जाएगा.
3. यदि अभ्यर्थी अपना आवेदन एक बार में पूरा नहीं भर पा रहे हों तो वे पहले से भरे हुए डाटा को "SAVE AND NEXT" टैब पर क्लिक करते हुए सेव कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन को प्रस्तुत करने के पहले ऑनलाइन आवेदन में अपने ब्यौरों की जांच करने के लिए "SAVE AND NEXT" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें संशोधित करें.
4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं ऑनलाइन आवेदन में ब्यौरा भरें और जांच करें, क्योंकि FINAL SUBMIT BUTTON क्लिक करने के बाद कोई भी परिवर्तन संभव/विचारणीय नहीं होगा.
5. आवेदन में अभ्यर्थी का या उसके पिता/पति का नाम इत्यादि सही प्रकार से भरा गया हो जैसा कि प्रमाणपत्र/मार्कशीट/पहचान प्रमाण में दिया गया है. इनमें किसी प्रकार का अंतर/परिवर्तन अभ्यर्थिता को अयोग्य कर सकता है.
6. 'Validate your details' और 'Save & Next' बटन से अपने ब्यौरे को सत्यापित करें और आवेदन सेव कर लें.
7. अभ्यर्थियों को स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है, विस्तृत जानकारी पॉइंट सी में दी गई है.
8. अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म के अन्य ब्यौरे भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं.
9. FINAL SUBMIT से पहले Preview टैब क्लिक कर पूरा आवेदन का प्रीव्यू देखें और उसकी जांच कर लें.
10. यदि आवश्यक हो, तो जानकारी में सुधार करें और यह जांचने और सुनिश्चित करने के बाद ही 'FINAL SUBMIT' पर क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड किया गया फोटो, हस्ताक्षर तथा भरी गयी अन्य जानकारी सही है.
11. 'Payment' टैब पर क्लिक करें और भुगतान करें.
12. 'Submit' बटन पर क्लिक करें.

ख. शुल्क का भुगतान

ऑनलाइन मोड

1. आवेदन-फॉर्म पेमेंट गेटवे के साथ जुड़ा हुआ है और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

2. डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा.
3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपने भुगतान की जानकारी सबमिट करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें. कृपया दोहरे भुगतान से बचने के लिए BACK अथवा REFRESH बटन न दबाएं.
4. लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर एक ई-रसीद तैयार हो जाएगी.
5. 'ई-रसीद' न तैयार होने का मतलब है कि भुगतान असफल रहा. असफल भुगतान पर, अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड से फिर लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं.
6. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे शुल्क के विवरण वाली ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें. **कृपया ध्यान रखें कि यदि यह जनरेट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन भुगतान सफलतापूर्वक पूरा हुआ हो.**
7. क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वालों के लिए : सभी प्रकार भारतीय रूप में अंकित हैं. यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका बैंक विद्यमान विनिमय दर के अनुसार स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन कर देगा.
8. आपके डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृपया प्रक्रिया पूरी हो जाने पर अपने ब्राउज़र-विंडों को बंद कर दें.
9. शुल्क के भुगतान के बाद शुल्क विवरण वाले आवेदन पत्र को मुद्रित करने की सुविधा उपलब्ध है.

नोट:

क. आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, अभ्यर्थी को सिस्टम से जनरेट किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ले लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करें कि भरे गए विवरण सही हैं और अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड के साथ इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें. उन्हें यह प्रिंटआउट बैंक को नहीं भेजना चाहिए

नोट : ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण जैसे - अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, परीक्षा केंद्र, आवेदन का जिला, योग्यता, आदि को अंतिम माना जाएगा.

- ख. एक ऑनलाइन आवेदन, जो किसी भी तरह से अपूर्ण हो, जैसे कि बिना उचित पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारूप/फार्म में अपलोड किया गया हस्ताक्षर/फ़ीस भुगतान का असफल होना, वैध आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा.
- ग. अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन करें और फ़ीस/सूचना प्रभार जमा करने के लिए अंतिम तिथि तक इंतजार ना करें, जिससे कि वेबसाइट जाम होने/इंटरनेट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण से बैंक के वेबसाइट के डिस्कनेक्शन/प्राप्त करने में असमर्थता/असफलता को टाला जा सके.
- घ. अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर, उपर्युक्त कारणों से अथवा अन्य किसी कारण से, जो कि बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, आवेदन प्रस्तुत न कर पाने के लिए बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है.
- ङ. कृपया नोट करें कि उपर्युक्त पद्धति ही आवेदन करने के लिए, केवल वैध पद्धति है. आवेदन के किसी अन्य माध्यम अथवा अपूर्ण चरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे.
- च. आवेदक द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तुत की गई किसी जानकारी के लिए अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होंगे और यदि उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारियाँ/सूचनाएँ/विवरण बाद में किसी भी स्तर पर असत्य पाए जाते हैं, तो वे अभियोजन/ सिविल कार्रवाई या परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे.

11. सामान्य निर्देश:

- क. परीक्षा/टेस्ट के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवश्यक दस्तावेज़ दिखलाने एवं प्रस्तुत करने होंगे जैसे कि वैध बुलावा पत्र(काल लेटर), फोटो पहचान-पत्र की फोटो प्रतिलिपि जिसमें कि वही नाम हो जैसा कि ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन इत्यादि में हो. ऑनलाइन टेस्ट/परीक्षा(ओं) के पहले अथवा पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा कोई भी दस्तावेज़ बैंक को सीधे नहीं भेजे जाने चाहिए.
- ख. पद हेतु आवेदन करने के पूर्व, अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि विज्ञापन में उल्लेख किए अनुसार पात्रता एवं अन्य मानदंड उसके द्वारा पूरे कर लिए गए हैं. अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इस विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करें.
- ग. सभी अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आधार नंबर उपलब्ध कराना अथवा आवेदन में आधार पंजीयन संख्या का उल्लेख करना वैकल्पिक/स्वैच्छिक है.
- घ. किसी अभ्यर्थी की भर्ती/ऑनलाइन टेस्ट के लिए/शारीरिक स्वस्थता जाँच के लिए और बाद की प्रक्रियाओं के लिए, सूचीबद्ध होना पूर्णतः अस्थायी है/होगी. अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र(काल लेटर)/अस्थायी नियुक्ति जारी करने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि बैंक द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अंतिम रूप दे दिया गया है. बैंक प्रक्रिया के किसी भी चरण में, किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा. यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने गलत/असत्य सूचनाएँ/प्रमाणपत्र/ दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है अथवा किसी महत्वपूर्ण जानकारी(यों) को छिपाया गया हो. यदि इस विज्ञापन के शर्तों एवं निबंधनों के मुताबिक किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जाती है तो इस संबंध में आगे किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे निर्णय सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे. यदि बैंक में नियुक्ति के पश्चात, इस प्रकार कोई कमी/कमियाँ पाई जाती हैं/हैं तो सरसरी तौर पर उसकी सेवाएँ समाप्त होने के लिए बाध्य होंगी.
- ङ. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में सभी मामलों में, उन स्तरों के संबंध में, जिनमें पात्रता के संबंध में ऐसी संवीक्षा की जानी है, योग्यताएँ एवं अन्य पात्रता मानदंड, टेस्ट/जाँच/परीक्षा के आयोजन के उद्देश्य हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़, सत्यापन इत्यादि एवं अन्य कोई मामले जो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हो, सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम एवं सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा. कोई भी पत्राचार अथवा व्यक्तिगत पूछताछ, बैंक द्वारा इस संबंध में स्वीकार्य नहीं होगा. बैंक अलग से भेजे गए किसी प्रमाणपत्र/प्रेषण/दस्तावेज़ के प्राप्त करने/संग्रह करने के संबंध में कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है.
- च. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए. कई/बहुत से आवेदनों के संबंध में, केवल नवीनतम वैध(सम्पूर्ण) आवेदन ही मान्य होगा एवं अन्य कई सारे पंजीयनों के लिए भुगतान किए गए आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार जब्त हो जाएंगे.
- छ. ऑनलाइन परीक्षा में, कई/बहुत सी उपस्थितियाँ/हाजिरी, के मामलों में, सरसरी तौर पर अभ्यर्थिता अस्वीकृत/ निरस्त/रद्द कर दी जाएगी.
- ज. एक बार ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो जाने के बाद, वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और/या आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार एक बार जमा हो जाने के बाद न तो वापस किए जाएंगे और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे.
- झ. इस विज्ञापन के परिणामस्वरूप, उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के मामले, जिसमें कि भर्ती प्रक्रिया भी शामिल है, केवल मुंबई स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे.
- ञ. अभ्यर्थी द्वारा, ऑनलाइन आवेदन में, यह संकेत/सूचना दी जानी चाहिए कि, चयन के पश्चात अस्थायी नियुक्ति के लिए वह, किस जिले का विकल्प देना चाहता/चाहती है. एकबार दिया गया विकल्प वापस नहीं लिया जा सकता है.

- ट. अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने पक्ष में किसी भी प्रकार से अनुचित दबाव डालना अथवा प्रचार करना, भर्ती प्रक्रिया से अयोग्यता के रूप में माना जाएगा.
- ठ. टेस्ट/जाँच/परीक्षा(ओं) की तिथि, समय एवं स्थान/केंद्र में परिवर्तन के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- ड. ऑनलाइन आवेदन फार्म में वर्णित, पते के विवरणों में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- ढ. यदि अंग्रेजी के अलावा इस विज्ञापन में, किसी खंड या शर्त अथवा वाक्यांश/उपवाक्य के संबंध में, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध, अंग्रेजी पाठ/कथन को ही मान्य किया जाएगा.
- ण. प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, उसके द्वारा सभी स्थानों पर किए गए हस्ताक्षर, जैसे: उसके बुलावा पत्र में, उपस्थिति शीट इत्यादि एवं बैंक के साथ भविष्य में किए जाने वाले सभी पत्राचार में, एक समान/एक जैसे होने हैं और उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है.
- त. हाल ही का एक, पहचानने योग्य फोटोग्राफ(4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म में, अपलोड किया जाना चाहिए और अभ्यर्थियों द्वारा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, भर्ती प्रक्रिया के दरम्यान, विभिन्न अवसरों/स्तरों पर प्रस्तुत/उपयोग किए जाने के लिए वही प्रतियाँ उपयोग की जाती हैं. अभ्यर्थियों को यह भी सलाह है कि प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने शकल-सूरत में कोई परिवर्तन/बदलाव न लाएँ. भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक ही फोटोग्राफ प्रस्तुत करने में असफल होने की स्थिति में अथवा किसी भी स्टेज में पहचान के संबंध में, संदेह होने की स्थिति में, इसे अयोग्यता के रूप में माना जा सकता है.
- थ. टेस्ट/जाँच/परीक्षा के आयोजन में, कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावनाओं से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो कि परीक्षा के आयोजन और/अथवा परिणामों को प्राप्त करने में प्रभाव डाल सकते हैं. ऐसी घटनाओं की स्थितियों में, इन समस्याओं के सुधार की दिशा में, प्रत्येक प्रयास किए जाएँगे, जिनमें कि अभ्यर्थियों का आना-जाना/जगह बदलना, परीक्षा/टेस्ट में विलंब, इत्यादि हैं, पुनर्परीक्षा/फिर से परीक्षा लेना/परीक्षा का आयोजन करना पूरी तरह से, बैंक के विवेक के अंतर्गत है. अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा का कोई दावा नहीं कर सकेगा. ऐसे अभ्यर्थी, जो आना-जाना/जगह बदलना अथवा टेस्ट आयोजन के विलंबित प्रक्रिया में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर भर्ती प्रक्रिया से निरस्त कर दिया जाएगा.
- द. किसी अनधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा, किए गए किसी आवेदन/गलत सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए, बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उनके आवेदनों की जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.
- ध. अभ्यर्थियों की नियुक्ति, शारीरिक दृष्टि से सेवा योग्य घोषित किए जाने और बैंक की किसी अन्य आवश्यकता के अनुरूप एवं बैंक के सेवा एवं आचरण नियमों के अनुरूप शर्तों के अधीन है. बैंक का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा.
- न. बैंक के पास किसी भी मानदंड, चुनाव/चयन प्रक्रिया/पद्धति एवं अस्थायी आबंटन इत्यादि में परिवर्तन (निरस्त करने/सुधार करने/जोड़ने) करने का अधिकार सुरक्षित है.
- प. बैंक द्वारा सूचनाएँ केवल ऑनलाइन आवेदन फार्म में पंजीकृत ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर अथवा डाक द्वारा भेजी जाएँगी.
- फ. मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, पत्राचार पता में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी तकनीकी त्रुटि अथवा अन्यथा, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, इत्यादि कारणों से यदि, सूचनाएँ/जानकारियाँ अभ्यर्थियों तक नहीं पहुँचती हैं तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिकृत बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर नवीनतम अद्यतनों/जानकारियों के लिए नियमित/सतर्कतापूर्वक निगरानी रखें.

ब. निम्नलिखित सामग्रियाँ परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है:-

- i. कोई स्टेशनरी मद जैसे अध्ययन सामग्री (छपी अथवा लिखित), अखबार के टुकड़े, ज्यामिती/पेंसिल बाक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, लिखने का पैड, पेन ड्राइव्स, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर/इत्यादि.
 - ii. कोई सूचना उपकरण/मशीन जैसे मोबाइल फोन, ब्लू टूथ, ईयर फोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैंड इत्यादि.
 - iii. अन्य मदें जैसे गाग्ल्स, हैंड बैग्स, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, टोपी इत्यादि.
 - iv. सभी प्रकार के आभूषण जैसे रिंग, ईयर रिंग्स, नोज़ पिन, चेन नेकलेस/, पेंडण्ट्स (लटकन), बैज, ब्रूच इत्यादि की ठीक तरह से जाँच की जानी चाहिए (जड़ाऊ पिन).
 - v. कोई घड़ीकलाई घड़ी/, कैमरा इत्यादि.
 - vi. कोई धातु की वस्तु
 - vii. पैक या खुली हुई कोई खाद्य वस्तु, पानी की बोतल आदि.
 - viii. कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग सूचना छिपाने के साधन के रूप में अनुचित उपयोग किया जा सके जैसे कैमेरा, ब्ल्यू टूथ आदि.
- v. इस अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थिता को निरस्त की जाएगी तथा पुलिस से शिकायत और भावी परीक्षाओं से वंचित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
- vi. अभ्यर्थी को उनके स्वयं के हित में सलाह है कि परीक्षा स्थान पर कोई भी प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर न आएँ, अन्यथा उनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता. परीक्षा संपन्न करवाने वाली बैंक तथा / या अन्य एजेन्सी द्वारा किसी वस्तु के खो जाने की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी. इस तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी.

12. अनुचित वस्तु का उपयोग / दुराचार का दोषी पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई:

अभ्यर्थी को उनके हित में सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी झूठी या हेरफेर के साथ गढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए.

परीक्षा के समय, या चयन प्रक्रिया के पश्चात, यदि अभ्यर्थी निम्न के लिए दोषी पाया (या पाया गया) जाता है –अनुचित वस्तुओं का उपयोग, या

क. किसी व्यक्ति द्वारा ढोंग करने या छद्म रूप धारण करने, या

ख. परीक्षा केन्द्र पर दुर्यवहार करना या परीक्षा की विषयवस्तु या कोई जानकारी पूर्ण रूप से या उसके कोई भाग के किसी रूप में या किसी अन्य साधन, मौखिक या लिखित, किसी उद्देश्य हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में या यांत्रिक रूप में प्रकट, प्रकाशित, पुनरुत्पादन, प्रसारण या संग्रहित करता है, या

ग. उसके / उसकी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई अनियमितता या अनुचित वस्तुओं को रखना, या

घ. अनुचित तरीके से उसके / उसकी अभ्यर्थिता के लिए सहारा लेना.

ड. परीक्षा भवन में संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधन या मोबाइल फोन लाना, ऐसे अभ्यर्थी स्वयं अपराधिक अभियोग के लिए उत्तरदायी होंगे.

तो :-

- i. परीक्षा से अयोग्य ठहराया जाए, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है.
- ii. बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से विशिष्ट अवधि के लिए या सदा के लिए रोक लगाने हेतु.
- iii. यदि वह पहले से ही बैंक सेवा में हो तो, सेवा से बर्खास्त करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा.

महत्वपूर्ण:

बैंक सही और गलत जवाब की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ अलग-अलग अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का विश्लेषण करेगी. यदि इस संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई विश्लेषण प्रक्रिया में, यह निष्कर्ष / साबित होता है कि प्रतिक्रिया शेर की गई है/ प्राप्त स्कोर वास्तविक / वैध नहीं पाए गए हैं तो, बैंक के पास संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बैंक ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) के परिणाम रोकेगी. इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

13. बुलावा पत्र तथा घोषणाएं:

- i. संबंधित बुलावा पत्र में केन्द्र, स्थान का पता, परीक्षा का समय तथा तारीख सूचित की जाएगी.
- ii. पात्र अभ्यर्थी बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in से अपना ब्यौरा अर्थात पंजीकरण नंबर तथा पासवर्ड/ जन्म तारीख प्रविष्ट करके अपना बुलावा पत्र डाउनलोड करें.
- iii. ऑनलाइन आवेदन फार्म में दर्ज मोबाईल नंबर, ई-मेल पते, पत्राचार के पते में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या बैंक के नियंत्रण से बाहर होने के कारण देरी से प्राप्त / ई-मेल/ एसएमएस/ डाक से आई सूचना न प्राप्त होने की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी. तथापि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर की गई घोषणाओं, प्रक्रिया के ब्यौरे, अद्यतन जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के साथ-साथ अपने पंजीकृत ईमेल खाते पर प्राप्त सूचनाओं की नियमित जांच करते रहें.

14. अस्वीकृति:

गलत जानकारी देने तथा / या चयन के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने की घटना पाए जाने पर, अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जाएगा तथा उसे भविष्य में बैंक की किसी भी परीक्षा में हिस्सा लेने से वंचित किया जाएगा. यदि उक्त उदाहरणों का चालू चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चलता, परंतु बाद में इसका पता लगता है, तो इस तरह की अयोग्यता को पूर्व प्रभाव के साथ लागू किया जाएगा. बैंक के पास बिना किसी कारण के इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है.

15. इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम तथा सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा.

मुंबई

दिनांक: 21.01.2019

महाप्रबंधक (मासं)

सशस्त्र गार्ड की संभावित जिलेवार, श्रेणीवार रिक्तियाँ

| क्र. | जिला | राज्य | रिक्तियों की संख्या | अ जा | अज जा | अपि जा | अना |
|------|--------------|----------------|---------------------|------|-------|--------|-----|
| 1 | गुंटूर | आंध्र प्रदेश | 2 | 1 | | | 1 |
| 2 | बरपेटा | असम | 2 | | | | 2 |
| 3 | डिब्रूगढ़ | असम | 1 | | | | 1 |
| 4 | कामरूप | असम | 1 | | | | 1 |
| 5 | बेगूसराय | बिहार | 2 | 1 | 1 | | |
| 6 | पटना | बिहार | 1 | 1 | | | |
| 7 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 2 | | | | 2 |
| 8 | दिल्ली | दिल्ली | 2 | | 1 | 1 | |
| 9 | अहमदाबाद | गुजरात | 1 | | | 1 | |
| 10 | गांधीनगर | गुजरात | 1 | | | 1 | |
| 11 | खेड़ा | गुजरात | 1 | | | 1 | |
| 12 | राजकोट | गुजरात | 2 | | | 1 | 1 |
| 13 | सूरत | गुजरात | 2 | 1 | | | 1 |
| 14 | बड़ोदरा | गुजरात | 1 | | | 1 | |
| 15 | पानीपत | हरियाणा | 1 | | | 1 | |
| 16 | जम्मू | जम्मू & कश्मीर | 2 | | | 1 | 1 |
| 17 | श्रीनगर | जम्मू & कश्मीर | 2 | | 1 | | 1 |
| 18 | गिरिडीह | झारखंड | 2 | | | | 2 |
| 19 | बेलगाम | कर्नाटक | 1 | | 1 | | |
| 20 | एर्णाकुलम | केरल | 3 | 1 | | 1 | 1 |
| 21 | इडुक्की | केरल | 3 | | 1 | 1 | 1 |
| 22 | कोझिकोड | केरल | 1 | | | | 1 |
| 23 | तिरुवनंतपुरम | केरल | 1 | | | | 1 |
| 24 | भोपाल | मध्य प्रदेश | 1 | | 1 | | |
| 25 | जबलपुर | मध्य प्रदेश | 1 | 1 | | | |
| 26 | सिंगरौली | मध्य प्रदेश | 2 | 1 | 1 | | |
| 27 | मुंबई | महाराष्ट्र | 14 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 28 | संबलपुर | ओड़ीसा | 8 | | 3 | 1 | 4 |
| 29 | अमृतसर | पंजाब | 1 | | | | 1 |
| 30 | फिरोजपुर | पंजाब | 1 | | | | 1 |
| 31 | होशियारपुर | पंजाब | 3 | 1 | | 1 | 1 |
| 32 | लुधियाना | पंजाब | 2 | | | 1 | 1 |
| 33 | पठानकोट | पंजाब | 1 | | | | 1 |
| 34 | चेन्नई | तमिलनाडु | 2 | | | | 2 |
| 35 | कोयंबतूर | तमिलनाडु | 1 | | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|-----|--|----|----|----|----|
| 36 | मदुरै | तमिलनाडु | 1 | | | | | 1 |
| 37 | हैदराबाद | तेलंगाना | 1 | | | | | 1 |
| 38 | करीमनगर | तेलंगाना | 1 | | | | 1 | |
| 39 | आगरा | उत्तर प्रदेश | 2 | | 2 | | | |
| 40 | गोरखपुर | उत्तर प्रदेश | 3 | | 2 | 1 | | |
| 41 | कानपुर | उत्तर प्रदेश | 2 | | 1 | 1 | | |
| 42 | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 1 | | 1 | | | |
| 43 | मऊ | उत्तर प्रदेश | 2 | | 1 | 1 | | |
| 44 | मेरठ | उत्तर प्रदेश | 2 | | 1 | 1 | | |
| 45 | देहरादून | उत्तराखंड | 1 | | | 1 | | |
| 46 | नैनीताल | उत्तराखंड | 1 | | | | | 1 |
| 47 | बर्दमान | पश्चिम बंगाल | 3 | | 1 | | 2 | |
| 48 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 6 | | 1 | 1 | 4 | |
| | कुल | | 100 | | 19 | 26 | 21 | 34 |

संकेताक्षर:

अजा-अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, अपिजा-अन्य पिछड़ा वर्ग, अना-अनारक्षित

नोट:

- रिक्तियों की संख्या अस्थायी है तथा बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है.
- भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार रिक्तियों के श्रेणीवार अलग-अलग ब्यौरे में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं.
- सभी रिक्तियाँ पूर्व सैनिकों, के लिए आरक्षित रहेंगी. वे ही केवल इस पद के लिए आवेदन करें.
- बैंक में दिव्यांगजनों (पीडबल्यूडी) के लिए सशस्त्र गार्ड का पद निर्धारित नहीं है अतः रिक्तियों के लिए यहाँ आरक्षण उपलब्ध नहीं है.
- अजा श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी भी अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, अनारक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए लागू दिशानिर्देश उनपर भी लागू होंगे. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा.

फोटो (4.5सेमी × 3.5सेमी) एवं हस्ताक्षर, स्कैन तथा अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक को निम्नलिखित निर्दिष्ट विवरण के अनुसार अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) प्रति रखना आवश्यक है.

फोटो इमेज:

- फोटो हाल ही की, रंगीन एवं पासपोर्ट प्रकार की होनी चाहिए.
- सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो एवं हल्के रंग की पृष्ठभूमि, अच्छा हो कि सफेद पृष्ठभूमि में खींचा गया हो.
- कृपया तनावमुक्त चेहरे के साथ कैमरे की ओर देखें
- यदि फोटो दिन के उजाले में ली गई हो तो कृपया सूर्य को अपने पीछे की ओर रखें या फिर इस प्रकार छाया में खड़े हों जिससे कि आप तिरछे न नजर आयें एवं कोई अनुचित परछाई न पड़े
- यदि आप फ्लैश का उपयोग करें तो सुनिश्चित करें कि आंखे लाल न हों
- यदि आप चश्मा पहनते हों तो ध्यान दें कि कोई परछाई न पड़े एवं आपकी आंखें स्पष्ट दिखाई दें.
- टोपियाँ, हैट एवं काले चश्में स्वीकार्य नहीं हैं, सिर पर पहना जाने वाला धार्मिक पहनावा स्वीकार्य हैं लेकिन इससे आपका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए.
- आकार प्रकार 200 x 230 पिक्सेल (बेहतर)
- फाइल की साइज 20केबी-50 केबी के बीच होनी चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए इमेज की साइज 50केबी से अधिक न हो. यदि फाइल की साइज 50 केबी से अधिक हो तो कृपया स्कैनर की सेटिंग को स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि से समायोजित करें.

हस्ताक्षर इमेज:

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही की कलम से हस्ताक्षर करना है.
- हस्ताक्षर अनिवार्यतः आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं.
- हस्ताक्षर का उपयोग उपस्थिति सूची पर एवं जहां कहीं आवश्यक हो, वहाँ इस्तेमाल के लिए किया जाएगा.
- परीक्षा के दौरान बुलावा पत्र एवं उपस्थिति सूची पर प्राप्त किए गए हस्ताक्षर का मिलान अपलोड किए गए हस्ताक्षर से होना चाहिए. मिलान न होने की स्थिति में आवेदक को अयोग्य ठहराया जा सकता है.
- आकार प्रकार 140 x 60 पिक्सेल (बेहतर)
- फाइल का आकार 10केबी - 20केबी के बीच होना चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किए हुए इमेज का आकार 20 केबी से अधिक न हो
- अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया जाएगा

फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करना:

- स्कैनर रिजोल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट पर इंच) पर सेट करें
- रंग को True Color पर सेट करें
- फाइल का आकार यथानिर्दिष्ट रखें
- फोटो/हस्ताक्षर को किनारों से काटने के लिए स्कैनर में क्रॉप करें, फिर अंतिम आकार (ऊपर निर्दिष्ट) तक पहुँचने के लिए इमेज को क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें
- इमेज फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए. जैसा कि फाइल का नाम है image01.jpg or image01.jpeg. हो. इमेज के आकार प्रकार को फोल्डर फाइल की लिस्टिंग करके या फिर फाइल इमेज आइकॉन के ऊपर माउस ले जाकर चेक किया जा सकता है.
- MS Windows/ MS Office का इस्तेमाल करने वाले आवेदक फोटो एवं हस्ताक्षर जेपीईजी प्रारूप में जो कि क्रमशः 50 केबी एवं 20 केबी से अधिक न हो को आसानी से MS Paint या MS Office Picture Manager का उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं. स्कैन करने के बाद किसी भी प्रारूप में सेव किए हुए फोटो एवं हस्ताक्षर को इमेज मेन्यू में 'Save As' विकल्प का उपयोग करके जेपीजी प्रारूप में सेव किया जा सकता है एवं क्रॉप तथा रिसाइज विकल्प का उपयोग करके आकार को 50 केबी (फोटो) एवं 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम में सेव किया जा सकता है. (कृपया पिक्सेल के आकार के लिए उपर्युक्त बिन्दुओं (i) एवं (ii) को देखें) अन्य फोटो एडिटर में इसी प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं.
- यदि फाइल का आकार एवं स्वरूप विहित रूप में नहीं है तो इसके गलत होने का संदेश प्रदर्शित होगा.
- ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय आवेदक को फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा.

फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया:

- फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे
- कृपया संबन्धित लिंक पर क्लिक करें-“Upload Photograph / Signature”
- ब्राउज़ करें एवं उस लोकेशन को चुने जहां स्कैन किया हुआ फोटो/ हस्ताक्षर सेव किया गया है.
- फाइल पर क्लिक कर उसे सेलेक्ट करें
- 'Open/Upload' बटन पर क्लिक करें

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक रजिस्टर नहीं होगा, जब तक आप निर्दिष्ट रूप में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड न कर दें.

नोट:

- (1) यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट हो तो आवेदक के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आवेदक को यह जांच लेना चाहिए कि इमेज स्पष्ट हैं एवं सही तरह से अपलोड किए गए हैं. यदि फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं है तो आवेदक अपने आवेदन को संपादित कर सकते हैं एवं फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले पुनः अपलोड कर सकते हैं.
- (2) ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए ऑनलाइन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ले लें.
- (3) आवेदक यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो, फोटो की जगह पर और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर की जगह पर अपलोड किया गया है. यदि फोटो, फोटो की जगह पर एवं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर की जगह पर सही रूप में अपलोड नहीं किया गया तो आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A
CANDIDATE BELONGING TO SCHEDULED CASTE OR
SCHEDULED TRIBE IN SUPPORT OF HIS / HER CLAIM.**

1. This is to certify that Sri / Smt / Kum* _____
_____ son / daughter*
of _____ of village / town*
_____ in District / Division* _____ of the
State / Union Territory* _____ belongs to the _____
_____ Caste/Tribe* which
is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe* under :

- * The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 ;
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 ;
- * The Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories)Orders, 1951 ;
- * The Constitution (Scheduled Tribes)(Union Territories)Order, 1951 ;
[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists Modification) Order,1956; the
Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act 1966, the State of Himachal
Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganisation)Act, 1971, the Constitution
(Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act,1976, The State of Mizoram
Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu
(Reorganization) Act, 1987.];
- * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order,1956 ;
- * The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 ;
- * The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 ;
- * The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 ;
- * The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964;
- * The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order,1967;
- * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 ;
- * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 ;
- * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 ;
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 ;
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 ;
- * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989 ;
- * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment)Act, 1990;
- * The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance, 1991 ;
- * The Constitution (ST) Orders (Second Amendment) Act,1991 ;
- * The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance, 1996;
- * The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002;
- *The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002;
- *The Constitution (Scheduled Caste and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2002;
- *The Constitution (Scheduled Caste) Order (Second Amendment) Act, 2002].

2. Applicable in the case of Scheduled Castes / Scheduled Tribes persons, who have migrated from one State / Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes* Certificate issued to Shri / Smt / Kumari* _____ Father /Mother* of Sri / Smt / Kumari* _____ of village / town _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belong to the _____ Caste / Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* issued by the _____ [Name of the authority] vide their order No. _____ dated _____.

3. Shri/Smt/Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of _____ District / Division* of the State / Union Territory* of _____

Signature _____
Designation _____

Place:
Date :

[With seal of Office]
State/Union Territory

Note : The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

* Please delete the words which are not applicable.
Delete the paragraph which is not applicable.

List of authorities empowered to issue Caste / Tribe Certificates:

1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / I Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Extra-Asst. Commissioner / Taluka Magistrate / Executive Magistrate.
2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and / or his family normally resides.

Note : The Certificate is subject to amendment/modification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists from time to time

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT
TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This _____ is _____ to _____ certify _____ that _____ Sri/Smt./
Kumari _____ son/daughter _____ of _____
_____ of _____
_____ District/Division _____ in the State/ Union
Territory _____ belongs _____ to _____ the
_____ community which is recognized as a backward class
under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No.
_____ dated _____*.

Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the
_____ District/Division _____ of _____ the
_____ State/Union Territory.

This is also to certify that he/she does not belong to the persons /sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93- Estt.[SCT], dated 8-9-1993 **.

Dated :

District Magistrate Deputy Commissioner etc.

Seal

* - the authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** - As amended from time to time.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

The Prescribed proforma shall be subject to amendment from time to time as per Government of India Guidelines.

PROFORMA - A

Form of Certificate applicable for Released/Retired Personnel

(Prescribed proforma subject to amendment from time to time)

1. It is certified that No. _____ Rank _____ Name _____ whose date of birth is _____ has rendered service from _____ to _____ in Army/Navy/Air Force.
2. He has been released from military services :
 - % a) on completion of assignment otherwise than
 - i. by way of dismissal, or
 - ii. by way of discharge on account of misconduct or inefficiency, or
 - iii. on his own request, but without earning his pension, or
 - iv. he has not been transferred to the reserve pending such release.
 - %b) on account of physical disability attributable to Military Service.
 - %c) on invalidment after putting in at least five years of Military service
3. He is covered under the definition of Ex-Serviceman (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979 as amended from time to time.

Place :

Signature, Name and Designation of the Competent Authority **

Date:

SEAL

% Delete the paragraph which is not applicable.

**** Authorities who are competent to issue certificate to Armed Forces Personnel for availing Age concessions are as follows :**

- a. In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs: Army: Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi; Navy : Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi; Air Force : Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.
- b. In case of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Force : Army : By various Regimental Record Offices; Navy : CABS, Mumbai; Air Force : Air Force Records, New Delhi.

PROFORMA - B

**Form of Certificate for Serving Personnel
(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)**

(Prescribed proforma subject to amendment from time to time)

1. It is certified that No. _____ Rank _____ Name _____ is serving in the Army/Navy/Air Force from _____.
2. He is due for release/retirement on completion of his specific period of assignment on or before _____.
3. No disciplinary case is pending against him

Place :

Signature, Name and Designation of the Competent Authority **

Date:

SEAL

**** Authorities who are competent to issue certificate to Armed Forces Personnel for availing Age concessions are as follows :**

- a. In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs: Army: Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi; Navy : Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi; Air Force : Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.
- b. In case of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Force : Army : By various Regimental Record Offices; Navy : CABS, Mumbai; Air Force : Air Force Records, New Delhi.

PROFORMA - C

**Undertaking to be given by serving Armed Force personnel
who are due to be released within one year**

(Prescribed proforma subject to amendment from time to time)

1. I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.
2. I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-serviceman in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertaking, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalised Banks, etc.), by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-serviceman.

Place :

Date :

Signature and Name of Candidate

PROFORMA - D

**Form of Certificate applicable for Serving Armed Force Personnel
who have already completed their initial assignment and are on extended assignment**

(Prescribed proforma subject to amendment from time to time)

1. It is certified that No _____ Rank _____ Name _____ whose date of birth is _____ is serving in the Army/Navy/Air Force from _____
2. He has already completed his initial assignment of five years on _____ and is on extended assignment till _____
3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Place :

Date :

Signature, Name and Designation of the Competent Authority **

SEAL

**** Authorities who are competent to issue certificate to Armed Forces Personnel for availing Age concessions are as follows :**

- a. In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs: Army: Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi; Navy : Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi; Air Force : Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.
- b. In case of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Force : Army : By various Regimental Record Offices; Navy : CABS, Mumbai; Air Force : Air Force Records, New Delhi.